

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/एल 1-36/2012-

पटना, दिनांक-

डा० रीता चकोर, प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को दिनांक-20.08.2017 से 18.09.2017 तक विभागीय पत्रांक-426(17) दिनांक-24.07.2017 द्वारा यूरोप एवं लंदन (विदेश) यात्रा की विभागीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, परंतु आपके द्वारा विभागीय आदेश की अवहेलना कर विदेश यात्रा से दिनांक- 25.09.2017 को स्वदेश लौटें।

अतः दिनांक-20.08.2017 से 25.09.2017 तक विदेश यात्रा की अवधि को इस शर्त के साथ घटनोत्तर स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

ह०/-

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-17/एल 1-36/2012- 179 (17) /पटना, दिनांक- 13/3/18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले०एवंह०), बिहार, पटना/प्राचार्य, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/डा० रीता चकोर, प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ✓

← 17/3/18  
सरकार के विशेष सचिव।